

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 145/2022
मोहम्मद हनीफ पुत्र सरवर अली खान, निवासी वार्ड न0 1 ग्राम पोस्ट धनूरी तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू,
पिन कोड 333011

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर।

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

आदेश

दिनांक 26.05.2022


1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 29.04.2022 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 145/2022 पर दिनांक 29.04.2022 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर के विरुद्ध पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2022/1836-37 दिनांक 29.04.2022 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर ने पत्रांक आर0टी0आई0/2022/331 दिनांक 25.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी मो0 हनीफ पुत्र श्री सरवर अली खान का प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत इस कार्यालय को दिनांक 21.02.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर से संबंधित थी। संबंधित शाखा प्रभारी द्वारा बतलाया गया कि उनवानी फजर अली बनाम घी सू बानो आदि की पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर में उपलब्ध नहीं है। उक्त पत्रावली/पत्रादि को न्यायालय में खोजने बाबत अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा इस कार्यालय के आदेश क्रमांक रा0स0/2022/768 दिनांक 19.05.2022 से श्री रामनिवास मीणा, नायब तहसीलदार, कार्यालय हाजा के निर्देशन में एक कमेटी गठित की। कमेटी द्वारा दिनांक 24.05.2022 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कमेटी जांच रिपोर्ट अनुसार तीन दिवस तक पत्रावली खोजने के उपरान्त भी पत्रावली नहीं मिली एवं उक्त पत्रावली/पत्रादि का इस कार्यालय में उपलब्ध होना नहीं बताया गया। उक्त पत्रावली इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी को सूचना नहीं दी जा सकी। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) मलसीसर द्वारा प्रस्तुत पत्रांक आर0टी0आई0/2022/331 दिनांक 25.05.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी मो0 हनीफ पुत्र श्री सरवर अली खान का प्रार्थना पत्र सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उनके कार्यालय को दिनांक 21.02.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर से संबंधित थी। संबंधित शाखा प्रभारी द्वारा बतलाया गया कि उनवानी फजर अली बनाम घीसू बानो आदि की पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर में उपलब्ध नहीं है। उक्त पत्रावली/पत्रादि को न्यायालय में खोजने बाबत अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उनके कार्यालय के आदेश



क्रमांक रा0स0/2022/768 दिनांक 19.05.2022 से श्री रामनिवास मीणा, नायब तहसीलदार, कार्यालय हाजा के निर्देशन मे एक कमेटी गठित की। कमेटी द्वारा दिनांक 24.05.2022 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमे कमेटी जांच रिपोर्ट अनुसार तीन दिवस तक पत्रावली खोजने के उपरान्त भी पत्रावली नहीं मिली एवं उक्त पत्रावली/पत्रादि का इस कार्यालय मे उपलब्ध होना नहीं बताया गया। उक्त पत्रावली उनके कार्यालय मे उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रार्थी को सूचना नहीं दी जा सकी। चूंकि अपीलार्थी को वांछित सूचना नहीं मिली है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), मलसीसर चाही गई सूचना के संबंध मे रिकार्ड को तलाश कर अपीलार्थी को 7 दिवस मे सूचना निःशुल्क उपलब्ध करावें।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 26.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं